

( राजस्थान-सरकार )

**प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर, बारां (राज.)**

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :- 20/2024

पंजीकरण संख्या :- 2024/165

**बउनवान**

श्री मनोज कुमार वैद निवासी- 220 शास्त्री नगर दादाबाडी कोटा (राज.) पिन कोड नं. 324009 मोबाईल नम्बर 9414153247

(अपीलार्थी)

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

**प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)**

**निर्णय दिनांक 07.10.2024**

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.07.2024 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर तहसील पटवार घर मांगरोल के नकल रजिस्टर पी-35, क्रमांक-86 पटवारी हल्का मांगरोल वर्ष 1994 एवं 1996 की प्रमाणित प्रतिलिपी चाही गई। प्रकरण में हल्का पटवारी मांगरोल द्वारा दिनांक 21.08.2024 को रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित किया कि तत्कालीन पटवारी द्वारा रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिससे प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। इस पर अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि तहसीलदार मांगरोल एवं हल्का पटवारी मांगरोल को निर्देशित करे कि हमें सूचना उपलब्ध करवाये। यदि रिकार्ड तहसील मांगरोल में नहीं है तो क्या विभाग द्वारा रिकार्ड गुम होने की कोई एफ.आई. आर. दर्ज कराई गई है तो उसका वर्ष एवं उसकी प्रमाणित प्रति दिलाने का कष्ट करे।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 17.09.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल को जरिये सम्मन क्रमांक 1194-1195 दिनांक 20.09.2024 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये सम्मन क्रमांक 1194-1195 दिनांक 20.09.2024 से तलब किया गया।

अपीलार्थी इस न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल द्वारा पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/3869-3870 दिनांक 04.10.2024 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए प्रतिलिपी अपीलार्थी को भी भिजवाई गई है।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जवाब में अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.07.2024 को आवेदन पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत, उनके कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना पटवारी हल्का मांगरोल से संबंधित होने, उनके कार्यालय के पत्रांक/भू.अ./2024/3174-3175 दिनांक 07.08.2024 से पटवारी हल्का मांगरोल को चाही गई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा जाकर प्रतिलिपी अपीलार्थी को भी दी गई। प्रकरण में हल्का पटवारी मांगरोल द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अपीलार्थी को पत्र दिनांक 21.08.2024 से सूचना उपलब्ध कराकर प्रतिलिपी तहसीलदार मांगरोल को दी गई।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र में चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल के हल्का पटवारी मांगरोल द्वारा पत्र दिनांक 21.08.2024 से अपीलार्थी को सूचित किया गया कि राजस्व रिकार्ड मांगरोल की जांच की गयी, जिसमें नकल रजिस्टर पी-35 सन् 1994-1996 का तत्कालीन पटवारी के द्वारा रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया है, जिससे प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं करवायी जा सकती है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से चाही गई सूचना, तहसील पटवार घर मांगरोल के नकल रजिस्टर पी-35, क्रमांक-86 पटवारी हल्का मांगरोल वर्ष 1994 एवं 1996 की कार्यालय रिकार्ड में गहनता से शीघ्र तलाश करवायी जाकर, अपीलार्थी को चाही गई सूचना शीघ्र उपलब्ध करवायी जावे। उक्त रिकार्ड यदि तलफ किया गया हो तो उसकी सूचना भी अपीलार्थी को दी जावे। यदि तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा उक्त रिकार्ड कार्यालय में जमा नहीं करवाया गया है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **07.10.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

( दिवांशु शर्मा )  
अति० जिला कलक्टर,  
बारों